(22)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64/2016/प्रा.पत्र/2016	31.08.2016	07.03.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम .... प्रार्थी

1–श्री पूरणमल साहू पुत्र रामपाल साहू जाति तेली निवासी घाटी वालो का मौहल्ला निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स बंसत बहार कुल्फी एंव ज्यूस सेन्टर पाटनी कॉम्पलेक्स के पास अहिंसा सर्किल निवाई जिला टोंक

2– मैसर्स बंसत बहार कुल्फी एंव ज्यूस सेन्टर पाटनी कॉम्पलेक्स के पास अहिंसा सर्किल निवाई जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 07.03.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.05.2016 को समय 11.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स बंसत बहार कुल्फी एंव ज्यूस सेन्टर पाटनी कॉम्पलेक्स के पास अहिंसा सर्किल निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. पूरणमल साहू एफ.बी.ओ मैसर्स बंसत बहार कुल्फी एंव ज्यूस सेन्टर पाटनी कॉम्पलेक्स के पास अहिंसा सर्किल निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में **प्लास्टिक की डिब्बियो मे कुल्फी** रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री पूरणमल साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता पूरणमल साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में आईस बॉक्स मे 100–100 ग्राम पैक मे लगभग 50 नग एंव 70–70 ग्राम के लगभग 200 नग **प्लास्टिक की डिब्बियो मे कुल्फी** रखी हुई थी। वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से पूर्णतया होमोजिनियस कर 1 किलो 200 ग्राम कुल्फी वेंईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान् कीमत एफ.बी.ओ. श्री पूरणमल साहू को रू0 260/–अक्षरे दो सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा कुल्फी 1 किलो 200 ग्राम के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग चार साफ व सूखी कांच की शिशियो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

736

23

कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1384 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1384 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. पूरणमल साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./16/2406 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/332/एक्ट/2016/381 दिनांक 02.06.2016 अनुसार पूरणमल साहू से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **कुल्फी** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Substandard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Substandard)** स्तर का कुल्फी का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कुल्फी का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कुल्फी** का नमूना जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री पूरणमल साहू पुत्र रामपाल साहू जाति तेली निवासी घाटी वालो का मौहल्ला निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स बंसत बहार कुल्फी एंव ज्यूस सेन्टर पाटनी कॉम्पलेक्स के पास अहिंसा सर्किल निवाई जिला टोंक पर शास्ती 11,000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner